1

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5277-दो/16

गोविन्द राम तिवारी तनय खुशीनन्द तिवारी, उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–शिवपुर, तहसील–बहरी, जिला–सीधी (म0प्र0)

———पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

जीवनराम तिवारी तनय गुरू प्रसाद राम तिवारी, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम–शिवपुर, तहसील–बहरी, जिला–सीधी (म0प्र0)

————गैरपुनरीक्षणकर्ता

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील–बहरी द्वारा (राजस्व निरीक्षक) राजस्व निरीक्षक मण्डल देवगवाँ तहसील–बहरी के प्रकरण क्र. 04/अ–12/15–16 आदेश दिनांक 05.02.2016

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण के आधार निम्न हैं :–

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता एवं गैरपुनरीक्षणकर्ता एक ही मूल पुरूष के बंशज हैं, तथा आपसी सहमति के आधार पर भूमि के बटवारा अनुसार काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं।

2. यह कि गैरपुनरीक्षणकर्ता द्वारा ग्राम–शिवपुर तहसील–बहरी जिला–सीधी में स्थित आराजी क्र. 603 रकवा 0.670 हे. के सीमांकन बावत् तहसील न्यायालय बहरी में आवेदन दिया गया था। उक्त सीमांकन कार्यवाही की जानकारी होने पर पुनरीक्षणकर्ता गोविन्दराम

(193)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रक[redacted]ांक निग.5277-II / 2016 जिला–सीधी

गोविन्दराम तिवारी / जीवनराम तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बहरी द्वारा राजस्व मण्डल देवगवॉ, तहसील बहरी के प्रकरण क्रमांक 04 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बहरी, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	